न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी -- भारती भारद्वाज, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 18 / 2021 आरसीएमएस नम्बरः–2021 / 00069

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ---- प्रार्थी

बनाम

1. अर्चनासिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति गूर्जर निवासी अशोक विहार गुरूद्वारा धौलपुर
2. गौरव कुमार पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी मित्तल कोलोनी धौलपुर।
3. बेबी सिंघल पत्नी बनवारीलाल सिंघल जाति वैश्य निवासी शास्त्रीनगर सैक्टर नं0 4 जीटी रोड धौलपुर।
4. लक्ष्मी शर्मा पुत्री रमेशचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गौशाला धौलपुर
5. सुधीर कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी ग्राम सरानीखेड़ा धौलपुर।

---- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थितिः–

1. श्री अनिल परमार अप्रार्थीगण की ओर से
2. प्रार्थी पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित

दिनांक – 27.12.2021

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1209 / 863 रकवा 1.6691 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम बाके ग्राम बसईनींव तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी पर पक्की दीवार एवं मुरम की सड़क स्थापित कर दी है, जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थीगण के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थीगण विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत उचित है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अनिल परमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी की भूमि में काश्त करने का पूर्ण अधिकारी है। उक्त प्रावधानों के विपरीत विवादग्रस्त आराजी पर कोई कार्य नहीं किया है एवं ना ही अपने अधिकारों का उल्लघंन कर काश्तकारी अधिनियम की शर्त भंग की है। आराजी में कृषि उत्पादन कृषि उत्थान व कृषि सुधार हेतु फसल की जानवरों से रक्षा हेतु वाउण्ड्री वॉल करा रहा था, लेकिन तहसीलदार धौलपुर द्वारा उपरोक्त कार्यवाही करने पर वाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। अप्रार्थीगण बिना 90ए एलआरए की कार्यवाही कराये हुए अपनी विवादित आराजी में से किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य करने के इच्छुक एवं तत्पर नहीं है एवं ना ही ऐसा कोई कार्य कर रहे है एवं ना ही कराना चाहते है। विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार की सड़क नहीं डाली है। प्रार्थना पत्र 177 आर टी ए खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत बसईनींव में उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 2659 दिनांक 17.12.2021 से रिपोर्ट पेश की कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के उक्त आराजी गौरव कुमार पुत्र रामगोपाल हिस्सा 10/33 जाति ब्राह्मण निवासी मित्तल कोलोनी धौलपुर, बेबी सिंघल पत्नी बनवारीलाल सिंघल हिस्सा 5/66 जाति वैश्य निवासी शास्त्रीनगर सैक्टर नं0 4 जी0टी0 रोड धौलपुर, लक्ष्मी शर्मा पुत्री रमेशचन्द शर्मा हिस्सा 5/66 जाति ब्राह्मण निवासी गौशाला जी0टी0 रोड धौलपुर, सुधीर कुमार पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 8/33 जाति वैश्य निवासी सरानीखेड़ा व अर्चना सिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह हिस्सा 10/33 जाति गूर्जर निवासी अशोक विहार गुरूद्वारा धौलपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त आराजी वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से लगी हुई है जिसके चारों ओर दूर–दूर तक बीहड क्षेत्र लगा हुआ है जहॉ पर अकसर जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं का आवागमन रहता है। उक्त आराजी भी पूर्व में ऊबड़–खाबड़ थी जिसे खातेदारों द्वारा समतल कर जुताई योग्य बना लिया है एवं कृषि कार्य करने हेतु बीच–बीच में पत्थर एवं गिट्टियों के पहुँच मार्ग बना रखे है तथा जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से कृषि की सुरक्षा हेतु उक्त आराजी को दक्षिणी भुजा पर करीब 3 से 4 फीट ऊंची ईटों की वाउण्ड्री वॉल कर रखी है जिसे तत्समय रूकवा दिया गया था। उक्त आराजी के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर 10/20 वर्ग फीट का एक कमरा बना हुआ है जिसका पटाव सीमेण्ट की चददरों से हो रहा है जिसे कृषक अपने ठहरने के उपयोग में लेते है। वर्तमान में उक्त आराजी मौके पर खाली है पत्थर–गिट्टी से बने रास्तों को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है एवं शेष जमीन मौके पर जुती हुई है किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है। उक्त आराजी से सम्बन्धित काश्तकारों को पाबन्द कर दिया गया है कि बिना भूमि रूपान्तरण कराये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य व अकृषि कार्य ना करें।

प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी है, जिस पर वह कृषि कार्य करते है एवं वर्तमान में भी काश्त हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अकृषि कार्य विवादित आराजी पर नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस वाउण्ड्री वॉल का कथन किया है, उक्त वाउण्ड्री वॉल फसल की जानवरों से सुरक्षा हेतु बना रहे थे, तहसीलदार धौलपुर द्वारा उपरोक्त कार्यवाही किये जाने पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार की कोई सड़क बगैरा नहीं डाली गई है। प्रार्थना पत्र 177 आरटीए खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजी के चारो ओर बीहड क्षेत्र लगा हुआ है, जहॉ जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं का आवागमन रहता है, जिनसे फसल की सुरक्षा हेतु दक्षिण दिशा में 3–4 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल बना रखी है जिसे तत्समय रूकवा दिया गया। उक्त आराजी पूर्व में ऊबड–खाबड थी, जिसे खातेदारों द्वारा समतल कर जुताई योग्य बना लिया है, एवं कृषि कार्य हेतु बीच–बीच में पहुॅच मार्ग पत्थरों एवं गिट्टीयों का बना रखा है। उक्त आराजी के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर 10 ग 20 वर्ग फीट का एक कमरा बना हुआ है, जिसका पटाव सीमेन्ट की चद्दरों से हो रहा है। जिसे कृषक अपने ठहरने हेतु काम में लेते है। वर्तमान आराजी मौके पर जुती हुई है, तथा पत्थर–गिट्टीयों के बने रास्ते को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है, तथा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। सम्बन्धित खातेदारों का पाबन्द किया जा चुका है कि वह कोई भी अकृषि कार्य बिना भूमि रूपान्तरण कराये नहीं करें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर पक्की दीवार एवं मुरम की सड़क स्थापित किये जाने के आधार पर न्यायालय में पेश किया है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0 / 2021 / 2659 दिनांक 17.12.2021 के अनुसार उक्त वाउण्ड्री वॉल का निर्माण जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से फसल की रक्षा के लिए किया जा रहा था। तथा पत्थर एवं गिट्टियों से निर्मित रास्ते को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है। तथा वर्तमान में विवादित आराजी जुती हुई है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर काश्त किये जाने व काई भी अकृषि कार्य नहीं किये जाने का कथन किया है। तहसीलदार धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 से अप्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि होती है। इसलिए विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही किया जाना हम उचित नही समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार धौलपुर को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर